फलों के पौधे देना

१०७४. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने लोगों को सेब, नाशपाती, आड़, प्लम, चरलीमम, अखरोट, चिलगोजा, बादाम, पिस्ता, अनार, अंगूर और चेस्टनट के कितने पेड़ दिये, और

(ख) उनकी बिक्री से कितनी आय हुई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) (क) और (ख) चालू वर्ष (१९५८-५९) में १,०६,४४६ पौधे निम्नलिखित संख्या में बांटे जा रहे हैं —

(१)	सेब	२२,४७२
(२)	नाशपाती	२,०५६
(३)	आड़	६,६७५
(४)	प्लम	१७,४४८
(५)	बादाम	१६,९७६
(६)	अखरोट	७,९५९
(७)	अनार	१,००४
(८)	काजू	२,१००
(९)	पिस्ता	४३
(१०)	अन्य पौधे	२९ ७१३

यह वितरण अनेक एजेन्सिया जैसे ब्लाक विकास अफसरो, कृषि विभाग के उद्यान अनुभाग इत्यादि के द्वारा किया जा रहा है और यह मार्च, १९५९ के अन्त तक जारी रहेगा । अभी तक वास्तव में बाटे गये पौधो की ठीक संख्या और उनकी बिक्री से प्राप्त हुई आय के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश में बागीचों का विकास

१०७५. श्री पद्म देव क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बागीचो के विकास के लिये हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने १९५८ में कितना ऋण दिया ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): नये फल के बागीचो को लगाने के लिये पहली जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक फल उगाने वालो को ऋण के रूप मे १,४८,४७५ रुपये बांटे गये ।

हिमाचल प्रदेश के काश्तकार

१०७६. श्री पद्म देव क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५६ से दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि मे कितने बेदखल किये गये काश्तकारो को उनकी जमीनें वापिस की गई और

(ख) उक्त अवधि मे जमीनें वापिस करने के सम्बन्ध मे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमे से कितने स्वीकृत हुए ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) (क) ४४ ।

(ख) अपनी जमीनो की वापसी के लिये बेदखल किये गये किसानो से १५० प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए । उनमे से ४४ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये ।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी बिक्री समितियां

१०७७ श्री पद्म देव क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हिमाचल प्रदेश मे कितनी सहकारी बिक्री समितिया है,

(ख) इन समितियो ने १९५८ में कितना कार्य किया,

(ग) इन समितियों की कुल पूंजी और अंश पूंजी कितनी है; और

(घ) क्या इन समितियों को १९५८ में सरकार द्वारा सहायता के रूप में कोई राशि दी गई थी ?

सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) २२ प्रमुख बिक्री समितियां

५ जिला बिक्री संघ

१ राज्य बिक्री संघ

(ख)	खरीदे हुए सामान की कीमत	बिक्री
	रु०	रु०
प्रमुख बिक्री समितिया	४,६६,३४०	४,४४,७३०
जिला बिक्री संघ	१३,५५,७५९	१२,७४,०१९
राज्य बिक्री संघ	२४,४७,९७८	१८,२६,०२४
योग . .	४२,७३,०७७	३५,४४,७७३

(ग)	सक्रिय पूंजी	अंश पूंजी
प्रमुख बिक्री समितिया	८,०४,३७४	१,६६,८०८
जिला बिक्री सघ	१७,४५,१६५	१ ६७,२५७
राज्य बिक्री सघ	११,९४,९६२	२३,९५०
योग . .	३७,६४,५०१	३,५८,०१५

(घ) नही ।

हिमाचल प्रदेश में बाल (धूम्रपालन पर रोक) एक्ट

१०७८. श्री पद्मदेव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बाल (धूम्रपान पर रोक) एक्ट लागू है,

(ख) यदि हा, तो क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश मे ५ वर्ष के बच्चे भी धूम्रपान के आदी है; और

(ग) क्या सरकार का इस एक्ट को लागू करने के लिए कोई सक्रिय कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हिमाचल प्रदेश बाल (धूम्रपान पर रोक) एक्ट, १९५३, हिमाचल प्रदेश में लागू है ।

(ख) ऐसा कोई मामला उस प्रशासन के ध्यान मे नही लाया गया है ।

(ग) इस एक्ट के उपबन्धों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।